न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 17 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. मांगसिंह पुत्र देरामसिंह 2. बाबुसिंह पुत्र देरामसिंह 3. भंवरसिंह पुत्र देरामसिंह 4. नारायणसिंह पुत्र गुणेशसिंह 5. मानसिंह पुत्र गुणेशसिंह 6. ओमसिंह पुत्र गुणेशसिंह जाति पुरोहित निवासी गादेसरा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1. आदुराम पुत्र राजुराम 2. दानाराम पुत्र राजुराम 3. कालुराम पुत्र सोनाराम 4. चंदाराम पुत्र सोनाराम 5. किशनाराम पुत्र सोनाराम 6. दामाराम पुत्र विरमाराम 7. राऊराम पुत्र विरमाराम 8. बाबुराम पुत्र विरमाराम 9. भगाराम पुत्र विरमाराम 10. मोहनराम पुत्र विरमाराम 11. पारू पत्नी विरमाराम 12. उकाराम पुत्र जोधाराम 13. कंवराराम पुत्र कानाराम 14. पुंजाराम पुत्र कानाराम 15. अमराराम पुत्र कानाराम 16. पाबुराम पुत्र कानाराम 17. बाबुलाल पुत्र कानाराम 18. दुदाराम पुत्र उर्जाराम 19. टीकमाराम पुत्र मगाराम 20. बींजाराम पुत्र मगाराम 21. पेम्पोदेवी पत्नी मगाराम 22. चुनीदेवी पत्नी मोडाराम 23. ताजाराम पुत्र अणदाराम 24. सवाराम पुत्र अणदाराम 25. चुतराराम पुत्र अणदाराम 26. राणाराम पुत्र कालुराम 27. टमाराम पुत्र कालुराम उत्तरदाता संख्या 26 व 27 नाबालिग की वलीया कुदरती वलीया माता विप्रार्थी संख्या 28 सुआदेवी 28. सुआदेवी पत्नी कालुराम जाति मेगवाल निवासी गादेसरा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 29. शाखा प्रबंधक एस बी बी जे शाखा सिणधरी

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 104 / 2024 बउनवान मांगसिंह वगैरह बनाम आदुराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 21.01.2024 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री वेदनृप राणजीओत अपीलान्ट की ओर से।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

2. वकील श्री राणाराम गौड़ उत्तरदाता की ओर से।

निर्णय

दिनांक:-04.06.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने अधीनस्थ अदालत में एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 82 रकबा 138.08 बीघा भूमि ग्राम गादेसरा तहसील सिणधरी में अवस्थित है। जिसमें प्रार्थीगण की रहवासी ढाणी, टांका व मवेशीयो के बाड़े इत्यादि बने हुए है। उक्त खेत व सड़क के मध्य विप्रार्थी संख्या 01 से 28 का खातेदारी खेत खसरा संख्या 88 रकबा 68.14 बीघा व खसरा संख्या 86 रकबा 16.06 बीघा के आये हुए है। प्रार्थीगण को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। बरसात के मौसम में विप्रार्थीगण अपनी अन्य भूमि के साथ रास्ते की भूमि पर भी काश्त कर लेते है, जिससे प्रार्थीगण का आवागमन अवरूद्ध हो जाता है, क्योंकि उक्त विप्रार्थीगण के खेत में से चलने वाला रास्ता प्रार्थीगण के सड़क तक आवागमन के लिये इकलौता विकल्प है जिसकी अत्यधिक आवश्यकता है। उपरोक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलांट द्वारा चाहा गया रास्ता नहीं दिया जाकर अन्य स्थान से रास्ता प्रस्तावित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उत्तरदातागण के खेत खसरा संख्या 88 व 86 में जो लाल रंग से दर्शित नक्शा में कटान मार्ग दिया गया है वहां पर उत्तरदातागण की रहवासी ढाणीयां, टांके, चारबाड़े बने हुए है जिससे होकर सड़क मार्ग पर आना जाना संभव नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना ही आनन फानन में उक्त आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के स्थान पर भूमि खाली नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा मौका रिपोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई जिसमें तहसीलदार ने मौके पर न जाकर आर आई व हल्का पटवारी को मौके पर भेजा उन्होने मौका देखे बिना ही

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपने कार्यालय में बैठकर उत्तरदाता के साथ मिलीभगत कर अपना निजी हित साधने हेतु उत्तरदाता के कहे अनुसार गलत मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। अपीलकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विप्रार्थीगण के खेत में से संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' में बरंग हरा दर्शित भूमि जिसका उपयोग अपीलकर्ता व अन्य ग्रामवासी कच्चा मार्ग के रूप में उपयोग कर रहे है वह मांगा गया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इसके विपरीत जाते हुए परिशिष्ट 'ब' में बरंग लाल दर्शित रास्ता उत्तरदातागण के खेत मे देने में कानूनन व इंसाफन भूल की गई। रास्ते की अपीलकर्ता को आत्यांतिक आवश्यकता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते से अपीलकर्ता की दुविधा बढ रही है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए रास्ता प्रस्तावित किया गया। अपीलांटस द्वारा अपील के जरिये आपत्ति की गई कि मौका रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं की गई जबकि कानून में प्रावधान है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 ए में भू अभिलेख निरीक्षक स्तर का कर्मचारी/अधिकारी मौका रिपोर्ट तैयार कर अदालत में पेश कर सकता है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में बताये रास्ते के विकल्प प्रस्तावित रास्ते से कहीं अधिक दूरी का तथ्य गैर वाजिब है। अपीलांटगण को अपनी सुवधिा के लिए रास्ता नहीं दिया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है लेकिन अपीलांट को सुनवाई का मौका दिया जाना लाजमी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में प्रथम बार मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। तत्पश्चात विप्रार्थी द्वारा आपत्ति करने पर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। द्वितीय बार मौका रिपोर्ट मंगवाई उसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते में अपीलांटगण के कथनानुसार मौके पर निर्माण किया गया है। मौके पर निर्माण होने से अपीलांट की रास्ते की आवश्यकता को पूर्ण

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किया जाना संभव नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते पर अपीलांट की आपत्ति होने के बावजूद भी विचार नहीं किया गया। अपीलांट/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है लेकिन प्रस्तावित रास्ते से अन्य पक्षकार के जीवन में दुविधा पैदा करना भी विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 104/2024 बउनवान मांगसिंह वगैरह बनाम आदुराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 21.01.2024 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौके की जांच करवाकर प्रस्तावित रास्ते में निर्माण कार्य किया हुआ पाया जावे तो प्रथम बार तलब मौका रिपोर्ट के अनुसार गुणावगुण पर आदेश पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.06.2025 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

4/6/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 04.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/6/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर